भारतीय खेल प्राधिकरण
नराकास सचिवालय
दक्षिण दिल्ली – 2

फा.सं : भाखेप्रा/नराकास/3093/2026-27/766 दिनांक : 14.08.2026

सेवा में,

प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर 5,
द्वारका, नई दिल्ली-110075

विषय : 01 अक्टूबर,2025 से 31 मार्च, 2026 तक की छमाही रिपोर्ट – समीक्षा।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली – 2 का अध्यक्ष कार्यालय होने के नाते आपके कार्यालय से प्राप्त उपरोक्त अवधि की रिपोर्ट की समीक्षा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है :

1. **रिपोर्ट की मद संख्या 1** के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आपके कार्यालय से सभी 67 प्रलेखों द्विभाषीय रूप में निर्गत किए गए। कृपया भविष्य में भी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. **रिपोर्ट की मद संख्या 2** के अनुसार कार्यालय में प्राप्त हुए 143 हिन्दी पत्रों में से 89 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया है तथा 54 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। कार्यालय में राजभाषा नियम-5 का पूर्ण अनुपालन सराहनीय है तथा उत्तर नहीं दिए जाने वाले अपेक्षित पत्रों की भी पावती भेजें।
3. **रिपोर्ट की मद संख्या 5** के अनुसार 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त हुए क्रमश: 80 एवं 18 कुल पत्रों में से 40 और 11 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया है जबकि 40 एवं 07 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था जो की सराहनीय है। आपसे अनुरोध है कि उत्तर नहीं दिए जाने वाले अपेक्षित पत्रों की पावती भेजे।
4. **रिपोर्ट की मद संख्या 4** के अनुसार आपका कार्यालय 'क', 'ख' एवं 'ग' तीनों ही क्षेत्रों में ही शत प्रतिशत (100%) पत्र व्यवहार हिन्दी में कर रहा है। जिसके लिए आपका कार्यालय प्राशंसा का पात्र है अनुरोध है कि भविष्य में भी इस पत्राचार लक्ष्य को बनाए रखे।
5. **रिपोर्ट की मद संख्या 5** के अनुसार आपके कार्यालय से कुल 38 टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी गई है जो कि प्रशंसनीय है। जो कि सराहनीय है इस निरंतरता को बनाएं रखें तथा भविष्य में सभी टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखना सुनिश्चित करें।
6. आपके कार्यालय द्वारा इस अवधि के दौरान 02 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई है जो कि सराहनीय है। कार्यशालाओं में प्रशिक्षित 130 कार्मिकों को हिन्दी राजभाषा प्रयोग में अभ्यस्त

रखने के उद्देश्य से उनसे हिन्दी पत्राचार का कार्य लिया जाना सुनिश्चित करें जिससे राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिले।

7. आपके कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठको का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निर्गत किए गए कार्यवृत्त की प्रति भी इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें।

अनुरोध है कि कार्यालयों में राजभाषा नीति कार्यान्वयन की दृष्टि से की गई समीक्षा के संदर्भ में आपके कार्यालय स्तर पर की गई सकारात्मक कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाएं।

इसे सक्षम प्राधिकारी, भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

सादर,

गीता पाराशर 14/08/26

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)

फा.सं : भाखेप्रा/नराकास/3093/2026-27 दिनांक :14.08.2026

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक, भाखेप्रा का कार्यालय
2. सचिव, भाखेप्रा का कार्यालय
3. कार्यकारी निदेशक (राजभाषा)
4. सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, त्रिकुट – ll, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110066
5. मास्टर फाइल

गीता पाराशर 14/08/26

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)